

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ओ-10/2019/

दिनांक:

:-आदेश:-

श्री ओमप्रकाश सैनी, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीलवाडी, विराटनगर, जयपुर का दिनांक 11.03.2017 से 20.03.2017 तक कुल 10 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

SL

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ओ-10/2019/332

दिनांक. 04-09-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को उनके पत्र क्रमांक 676 दिनांक 19.07.2019 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुरित्व में किया जाना सुनिश्चित करे।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विराटनगर, जयपुर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

SL
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर